

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरौही, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

- (1) श्री रमेश कुमार पुत्र मोडाराम जी, जाति- सुथार, निवासी- जावाल, तहसील व जिला- सिरौही
(2) ग्राम पंचायत जावाल, वर्तमान में: नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 87 / 2022

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 25 मई, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (श्री रमेश कुमार पुत्र मोडाराम जी सुथार, निवासी- जावाल) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 15.3.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 (दो) की ओर से ओर से अधिवक्ता कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (रमेश कुमार) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या-1 (रमेश कुमार) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान परोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जिस भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 50 दिनांक 15.3.2021 को जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 325 किस्म गोचर दर्ज है। यह कि जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo moto के तहत प्रकरण दर्ज कर जिला कलेक्टर, सिरौही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/33(14)/बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरौही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरौही को प्रेषित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् जारी पट्टों में से 42 पट्टे गोचर भूमि एवं 15 पट्टे प्रतिबंधित राजकीय एवं निजी खातेदारी भूमि में जारी किये गये। ग्राम पंचायत जावाल द्वारा उक्त पट्टों पर



प्रति, जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)

अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टो को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:मा.ज.सु/स.प्र. (32)/2022/76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा, गोचर भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नहीं करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नहीं किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गोचर भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का आवासीय मकान पाया गया जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या-1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 50 दिनांक 15.3.2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

- (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-
- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)
- (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

.....पेज तीन पर



जिला कलक्टर
सिरोही

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में **Suo Moto** दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/33(14)0 बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्द्री की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी सम्मिलित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 325 किस्म गोचर दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का कानून कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में गोचर भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र मोडाराम जी, जाति- सुथार, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 15.3.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही